

जोधपुर में गठित होगी राजस्थान सविलि सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ

चर्चा में क्यों?

24 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सविलि सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी। साथ ही जोधपुर में स्थाई पीठ का गठन होने तक जोधपुर चल पीठ की बैठक प्रत्येक माह के 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में न्यायाधीन डी.बी. सविलि रटि पीटशिन में माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 7.2022 की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है।
- इससे राजस्थान सविलि सेवा अपील अधिकरण अधिनियम, 1976 तथा राजस्थान सविलि सेवा अपील अधिकरण नियम, 1976 में वहिति प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना के लिये प्रक्रिया शुरू होगी।
- स्थाई पीठ का गठन होने तक जोधपुर में सर्कटि बैच की बैठक अवधि प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवस होगी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/permanent-bench-of-rajasthan-civil-services-appellate-tribunal>

